महानगर लखनऊ–226006
फोन : 0522–2337452
फैक्स नं0: 0522–2337453
सीयूजी : 9454400167
Email:sec1pachq.lu@up.gov.in

पीएसी मुख्यालय
उत्तर प्रदेश

पत्रांकः पीएसी–1–152(2)-2024/3045
दिनांकः अक्टूबर 30 ,2024

आदेश

अपर पुलिस महानिदेशक, "स्थापना" उ0प्र0 के पत्र संख्याः दस–395/2022(अधियाचन) दिनांक 22.08.2024 द्वारा प्राप्त उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के पत्र संख्याःपीआरपीबी–तीन–5(01)/2024 दिनांक 16.08.2024 के साथ संलग्न सूची में अंकित उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत ज्येष्ठता के आधार पर अनुपयुक्तों को छोड़ते हुये मुख्य आरक्षी पीएसी के पद पर पदोन्नति हेतु चयन वर्ष 2024 की रिक्ति के सापेक्ष कुल 500 आरक्षी उपयुक्त पाये गये हैं। इनमें से माह अक्टूबर 2024 की 31 रिक्तियों के सापेक्ष तात्कालिक प्रभाव से निम्नलिखित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस/बिगुलर/डी0आर0 को उनकी वर्तमान नियुक्ति की वाहिनी/जनपद/इकाई में मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर पदोन्नति प्रदान की जाती है:–

क्र0 सं0	वरिष्ठता क्रमांक	पीएनओ	कार्मिक का नाम	पिता का नाम	नियुक्ति स्थान	चयन वर्ष
1	377	040470203	पवन कुमार श्रीवास्तव	श्री जय प्रकाश लाल श्रीवास्तव	सुरक्षा विभाग	2024
2	378	040470463	अजीत कुमार यादव	श्री नरसिंह यादव	36वीं वाराणसी	2024
3	379	040470261	सुधीर कुमार यादव	प्रेमराज सिंह यादव	08वीं बरेली	2024
4	380	040750183	जुल्फकार अली	श्री मकसूद अली	06 मेरठ	2024
5	381	040580366	अहिबरन सिंह	श्री मनोहर लाल	सम्भल	2024
6	382	040580379	सुरेन्द्र कुमार	श्री बलराम	बरेली	2024
7	383	040440444	राजेश यादव	गनेश सिंह	मीरजापुर	2024
8	385	040440532	विरेन्द्र प्रताप सिंह	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह	बरेली	2024
9	386	040440431	प्रदीप कुमार	श्री मोहर सिंह	मुरादाबाद	2024

10	387	040440516	प्रदीप कुमार	श्री हरी लाल	02वीं सीतापुर	2024
11	388	040480510	मनोज कुमार सिंह	कुंवर पाल सिंह	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
12	390	040440460	अरविन्द कुमार सिंह	श्री गोपाल सिंह	सुरक्षा विभाग	2024
13	391	040440499	बदरूल जमा	मोहम्मद नासिरूद्दीन	भदोही	2024
14	392	040440529	अरविन्द कुमार यादव	धर्मराज यादव	32वी लखनऊ	2024
15	393	040650832	हरिकेश भारती	अभिराज	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
16	394	040650917	सुरेन्द्र सिंह	लल्लू सिंह	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
17	395	040650656	प्रमोद प्रभाकर टम्टा	सुरेश चन्द्र टम्टा	35वीं लखनऊ	2024
18	396	040650760	विनोद कुमार	राम प्यारे	35वीं लखनऊ	2024
19	398	040750167	गजेन्द्र सिंह	जगत सिंह	फिरोजाबाद	2024
20	399	040770303	भूप सिंह	श्री महावीर सिंह	पीटीएस मेरठ	2024
21	400	040580412	महेन्द्र प्रसाद	रामबचन मौर्य	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
22	401	040580425	संजय कुमार चौहान	श्री अक्षय लाल चौहान	चन्दौली	2024
23	402	040620103	शेर सिंह	बजरंगी सिंह	32वी लखनऊ	2024
24	403	040490944	विजय सिंह यादव	श्री दयाल सिंह	ललितपुर	2024
25	405	040491152	विनय कुमार सिंह	अम्बिका प्रसाद सिंह	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
26	406	040470027	पंकज कुमार	मनोहर लाल	शाहजहाँपुर	2024
27	407	040770273	भानु प्रताप शर्मा	श्री बीरबल शर्मा	44वीं मेरठ	2024
28	408	040650829	सुधीर कुमार	बाबू लाल	लखनऊ कमिश्नरेट	2024
29	409	040570411	राजेश कुमार	श्री रामनरायन	गोण्डा	2024

30	410	04051016 7	सुदामा प्रसाद	रामअवध	12वीं फतेहपुर	2024
31	411	04059002 2	सुनील कुमार	स्व0 राम विलास	झाँसी	2024

2— उक्त आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस अपने वर्तमान नियुक्ति स्थान वाहिनी/जनपद/इकाई में पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करेगें। यदि किसी कर्मी के नियुक्ति का स्थान स्थानान्तरण के कारण परिवर्तित हो गया हो तो उक्त कर्मी को उसके वर्तमान नियुक्ति स्थान पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा तथा इस मुख्यालय को सूचित किया जायेगा।

3— पदोन्नत मुख्य आरक्षियों को पदोन्नति की तिथि से 2 वर्ष के लिए परिवीक्षा पर रखा जायेगा, जिसे उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड कान्स्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली, 2015 के अनुसार बढ़ाया जा सकता है। परिवीक्षा अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी जैसा कि विभागाध्यक्ष द्वारा विहित किया जाय। प्रशिक्षण के सम्बन्ध में पृथक से अवगत कराया जायेगा ।

4— पदोन्नति पर कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित आरक्षियों से संलग्न प्रारूप (क) में स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र लेकर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शासनादेश संख्या: 13/21/89—का—1—1997 दिनांक:28.05.1997 के खण्ड—2 में दी गयी निम्नलिखित 03 परिस्थितियॉ विद्यमान न हों:—

(क) यदि कार्मिक निलम्बित चल रहा है,

(ख) यदि कार्मिक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही या प्रशासनाधिकरण की कार्यवाही लम्बित है, जिसके लिये आरोप—पत्र जारी किया जा चुका है ।

(ग) यदि आपराधिक आरोप के आधार पर कार्मिक के विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही लम्बित है अर्थात न्यायालय में अभियोजन हेतु आरोप—पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है ।

5— यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान नहीं है तो सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस को मुख्य आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के पद पर कार्यभार ग्रहण कराया जायेगा। यदि स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अथवा अभिलेखों में प्रस्तर—4 में अंकित परिस्थितियॉ विद्यमान पायी जाती है तो सम्बन्धित कर्मी के पदोन्नति के आदेश का क्रियान्वयन न कराया जाये तथा सम्पूर्ण तथ्यों सहित आख्या पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराते हुये निर्देश प्राप्त किया जायेगा ।

6— यदि सम्बन्धित आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र में अंकित कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया हुआ पाया जाता है तो सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कराये जाने की कार्यवाही उस वाहिनी/जनपद/इकाई द्वारा की जायेगी, जिस वाहिनी/जनपद/इकाई में सम्बन्धित आरक्षी द्वारा स्वहस्ताक्षरित घोषणा—पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रति सहित सम्बन्धित कर्मी को पदावनत किये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु सम्पूर्ण तथ्य/अभिलेख पीएसी मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

संलग्नक:घोषणा—पत्र

30/10

(आशुतोष कुमार)
पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी,
उ0प्र0 लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1— पुलिस आयुक्त लखनऊ/गौतमबुद्धनगर/कानपुर/वाराणसी/आगरा/गाजियाबाद/प्रयागराज ।

2— समस्त सेनानायक, पीएसी वाहिनी, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

3— समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश ।

4— वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ ।

5— पुलिस अधीक्षक, ए0टी0एस0 उ0प्र0 लखनऊ ।

6— पुलिस अधीक्षक, (प्रशिक्षण एवं सुरक्षा) सुरक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ ।

7— सेनानायक, एस0डी0आर0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ ।

8— पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निवारण संगठन उ0प्र0 लखनऊ ।

9— पुलिस अधीक्षक, सतर्कता अधिष्ठान उ0प्र0 लखनऊ ।

10— पुलिस अधीक्षक, डा0 भीमराव अम्बेडकर अकादमी मुरादाबाद ।

11— पुलिस अधीक्षक, पी0टी0सी0 सीतापुर ।

12— पुलिस अधीक्षक, तकनीकी सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ ।

13— पुलिस अधीक्षक, पी0टी0एस0 गोरखपुर ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष पुलिस विभाग उत्तर प्रदेश ।

2— अपर पुलिस महानिदेशक, ''स्थापना'' उत्तर प्रदेश ।

3— समस्त अपर पुलिस महानिदेशक जोन उत्तर प्रदेश ।

4— समस्त पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप महानिरीक्षक, परिक्षेत्र उ0प्र0 लखनऊ ।

5— समस्त पुलिस महानिरीक्षक, पीएसी जोन उत्तर प्रदेश ।

6— समस्त पुलिस उप महानिरीक्षक, पीएसी अनुभाग उत्तर प्रदेश ।

प्रारूप– "क"

स्वघोषणा–पत्र

मैं...(नाम/पदनाम व पीएनओ) .... पुत्र..निवासी .... थाना.................... जनपद.............. ....वर्तमान में (जनपद/इकाई का नाम)..... .... नियुक्त हूँ तथा प्रशिक्षण सत्र .... का आरक्षी हूँ।

मै प्रमाणित करता हूँ कि:–

(क) "मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित नहीं है तथा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन नहीं है और न ही वर्तमान में निलम्बित हूँ ।"

2– उपरोक्त घोषणा में यदि मेरे द्वारा कोई तथ्य असत्य अथवा छिपाया पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति निरस्त कर मुझे मूल पद पर पदावनत करते हुये मेरे विरूद्ध स्थापित विधि व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाय, जिस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी ।

3– यह घोषणा–पत्र मेरे द्वारा पूर्ण रूप से होशहवास में बिना किसी दवाव के दिया जा रहा है, जिसका मेरे द्वारा पूर्ण रूपेण पालन किया जायेगा ।

हस्ताक्षर
(नाम/पदनाम/पीएनओ सहित)
नियुक्ति स्थान/दिनांक

यदि सम्बन्धित आरक्षी के विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियो/कर्मचारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली'1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत कोई विभागीय कार्यवाही लम्बित अथवा प्रचलित है अथवा कोई आपराधिक अभियोग मा0 न्यायालय में विचाराधीन है अथवा निलम्बित है तो उसका पूर्ण विवरण उसके द्वारा नीचे अंकित किया जायेगाः–

(1) वर्तमान में निलम्बित है तो उसका निलम्बन आदेश/दिनांक तथा कारण ....

(2) मेरे विरूद्ध उ0प्र0 अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम–14(1) के अन्तर्गत जनपद/इकाई .... में कार्यवाही लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को आरोप–पत्र दिया गया है ।

(3) मेरे विरूद्ध मु0अ0सं0................................धारा......................थाना........................ जनपद...... .... में लम्बित है, जिसमें दिनांक .... को स्थानीय पुलिस अथवा जॉच एजेन्सी .... द्वारा आरोप–पत्र मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है तथा अभियोग वर्तमान में .... स्तर पर चल रहा है ।

प्रमाणित
जनपद/इकाई के प्रभारी
नाम/पदनाम की मुहर

नोटः– स्वघोषणा–पत्र में अंकित जो प्रस्तर अथवा उप प्रस्तर लागू न हो उसे स्पष्ट रूप से काट (X) दिया जाये ।